NOES

Achar, Shri
Barman, Shri
Basappa, Shri
Bhagat, Shri B. R.
Bhargava, Pandit Thakur Das
Bidari, Shri
Brajeshwar Prasad, Shri
Chandak, Shri
Chandra Shanker, Shri
Chaturvedi, Shri
Chuni Lal, Shri
Deo, Shri Shanker
Deshmukh, Shri K. G.
Gandhi, Shri Feroze
Gandhi, Shri M. M.
Gounder, Shri K. Periaswami
Hansda, Shri Subodh
Jhulan Sinha, Shri
Jogendra Singh, Sardar
Joshi, Shri A. C.
Jyotishi, Pandit J. P.
Kalika Singh, Shri
Kedaria, Shri C. M.
Keshava, Shri
Khimji, Shri
Kistaiya, Shri
Kureel, Shri B. N.
Mafida Ahmed, Shrimati
Maiti, Shri N. B.
Malaviya, Pandit Govind
Malviya, Shri Motilal
Mana.n, Shri
Mandal, Dr. Pashupati
Mandal, Shri J.
Mathur, Shri Harish Chandra
Mehta, Shrimati Krishna
Mishra, Shri Bibhuti
Misra, Shri R. D.
Misra, Shri R. R
Mohiuddin, Shri
Morarka, Shri
Munisamy, Shri N. R.
Murmu, Shri Paika
Narayanasamy, Shri R.
Naskar, Shri P. S.
Nayar, Dr. Sushila
Nehru, Shrimati Uma
Neswi, Shri
Pahadia, Shri
Prasad, Shri Mahadeo
Ram Shanker Lal Shri
Rampure, Shri
Rane, Shri
Rao, Shri Jaganatha
Raut, Shri Bhola
Ray, Shrimati Renuka
Rungsung Suisa, Shri
Saigal, Sardar A. S.
Samanta, Shri S. C.
Samantsinhar, Dr.
Sambandam, Shri
Sanganna, Shri
Satyabhama Devi, Shrimati
Seiku, Shri
Sharma, Shri R. C.
Shastri, Shri Lal Bahadur
Siddhananjappa, Shri
Sinha, Shri Gajandra Prasad
Sinhasan Singh, Shri
Snatak, Shri Nardeo
Sonawane, Shri
Tahir, Shri Mohammed
Thirumala Rao, Shri
Uike, Shri
Vedakumari, Kumari M.
Wadiwa, Shri

The Resolution was negatived.

RESOLUTION RE: IMPOSITION OF RESTRICTION ON PERSONS WHO HAD HELD THE OFFICE OF GOVERNOR

श्री मोतीलाल मालवीय (खजुराहो–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष, महोदय, मैं यह संकल्प इस सदन के सम्मुख रखता हूं:—

"इस सभा की यह राय है कि ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने किसी राज्य के राज्य–पाल अथवा कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया हो, लाभ के लिए किसी व्यवसाय अथवा पद पर कार्य करने से रोकने के लिए उचित कार्यवाही करनी चाहिये।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस संकल्प को इस सदन में लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि वर्तमान समय में जो भूत–पूर्व राज्यपाल हैं वे अपने सिद्धान्तों और आदर्शों से गिरते चले आ रहे हैं जिससे राष्ट्रीय जनजीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जो व्यक्ति संविधान के संरक्षक के रूप में काम कर चुका हो, राज्यपाल रह चुका हो और वही व्यक्ति राज्यपाल न रहने पर ऐसा कार्य करे जो जनहित के विरुद्ध जाता हो तो इससे यह प्रतीत होता है कि वह उसका जो आदर्श है उससे गिर रहा है। उनके सामने हमेशा यह आदर्श रहना चाहिए जिससे "बहुजन हिताय" हो, अधिकांश लोगों का हित हो और हम लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकें जैसा कि हमने अपने संविधान में कहा है। लेकिन देखने में यह आता है कि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं।

एक बात इस सिलसिले में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब बंकिम चंद्र एक [illegible] था उसमें यह बात प्रतिपादित की कि जो लोग बड़े हुए हैं

जिन लोगों का शोषण होता है, उनको कुछ सहूलियतें मिलें, उन्हें कुछ राहत मिले और इस प्रकार से उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे। यह बात सर्वविदित है कि हिन्दुस्तान के जो समाचारपत्र हैं उनके जो मालिक हैं वे प्राय: वही लोग हैं जो धनिक वर्ग से ताल्लुक रखते हैं तथा उनसे अपने निहित स्वार्थों की रक्षा का कार्य भी करवाते हैं। इस एक्ट के बन जाने से उसको ऐसा लगा कि हमारे जो निहित स्वार्थ हैं, उनको कुछ धक्का लगेगा और वर्किंग जर्नलिस्टस को कुछ ज्यादा देना पड़ेगा। उन्होंने इस एक्ट, जिसे इस सदन ने पास किया था, चैलेंज किया और वे कोर्ट में गये और वहां पर हम यह देखते हैं कि उस मुकदमें की पैरवी करने के लिए एक व्यक्ति जो कि राज्यपाल के इस पद पर कार्य कर चुके हैं, जाते हैं। ये वही भूतपूर्व राज्यपाल हैं जिन्होंने फिफ्त सैशन आफ दी इंडियन फैड्रेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्टस के एनुअल सैशन में राज्यपाल होते हुए यह कहा था कि.....

"I am very happy indeed that your Federation has achieved considerable success in its fight to improve the lot of working journalists. It has been a true saying, though trite, that the journalist fights for every cause but his own; I am glad that now he is learning the art of self-defence. He is certainly entitled to a living wage and to decent living conditions of service".

राज्यपाल के पद पर रहने पर तो हम जन-कल्याण की भावना का समर्थन करें लेकिन उस पद को छोड़ने के तुरन्त बाद ही हम उसके विरुद्ध कार्य करें, तो इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे जो भूतपूर्व राज्यपाल हैं वे राज्यपाल की प्रतिष्ठा को धक्का लगा रहे हैं क्योंकि राज्यपाल ऐसे ही व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं जिनका कि बड़ा सम्मान होता है, जो निष्पक्ष होते हैं और जो सिद्धान्तवादी होते हैं। पद पर रहने पर वे एक बात कहें जो कि सच्ची हो सही हो और संविधान के मुताबिक हो लेकिन उस पद को छोड़ने के बाद दूसरी बात कहें तो यह सही बात नहीं मालूम होती। उनका काम एक प्रचारक का काम नहीं है जैसे कि बहुत से लोक प्रचार के लिए आदमी रख लेते हैं, ऐडवरटाइजमेंट के लिए रख लेते हैं और वे ऐडवरटाइजमेंट करते हैं, और चाहे उनसे भजन गवा लीजिये चाहे जैसा राज्यपाल का पद तो बहुत ऊंचा होता है। इस प्रकार व्यभिचारिणी बुद्धि का उपयोग भूतपूर्व राज्यपाल को नहीं करना चाहिए, इस सदन के समक्ष यह मेरा निवेदन है और इसीलिए यह संकल्प लाने का मैंने साहस किया है। हां यह बात दूसरी है जैसे कि आई० एन० ए० की बात थी, आजाद हिन्द फौज की बात थी। उस समय जो हमारे देश की आजादी के लिए बहुत से लोग लड़े थे उनकी पैरवी करने के लिए देश के उच्च कोटि के नेता लोग इस ऐतिहासिक लाल किले में गये और वहां जाकर उन्होंने उन देशभक्तों की पैरवी की, उससे राष्ट्र का मस्तक बहुत ऊंचा उठा और हम स्वतन्त्रता प्राप्त करने की दिशा में कुछ कदम आगे बढ़े थे। भूतपूर्व राज्यपाल ऐसे ही लोगों के लिए लड़ें जिनका कि शोषण हो रहा हो जिनको कि दबाया गया हो तो वह तो एक सराहनीय बात हो सकती है लेकिन वर्किंग जनरलिस्ट ऐक्ट जैसी चीज के विरुद्ध जाना उनके लिए शोभनीय बात नहीं है।

हमने अपने संविधान के अनुच्छेद ३८ में यह घोषणा की है कि हम लोक कल्याण के हेतु प्रयत्न करेंगे और उसी को ध्यान में रख कर हमने यह वर्किंग जनरलिस्ट एक्ट बनाया है। जब वर्किंग जनरलिस्ट एक्ट बन गया तो आप देखते हैं कि उसके विरुद्ध किस प्रकार से भूतपूर्व राज्यपाल कोर्ट में जाते हैं और उसके विरुद्ध पैरवी करते हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि वह ऐसा

[श्री मोतीलाल मालवीय]

करके संविधान की अवहेलना करते हैं और इस प्रकार से जो राज्यपाल का पद है उसकी भी प्रतिष्ठा को धक्का लगाते हैं।

इसी प्रकार से मैं आपसे यह निवेदन करूं कि हमारी सरकार का यह आदर्श है कि देशवासियों में और सरकारी कर्मचारियों में सेवा भावना बढ़े और भ्रष्टाचार का नाश हो। कभी २ और अक्सर इस सदन में यह बात भी उठती है कि भ्रष्टाचार है। हमारी सरकार यह चाहती है और सभी लोग यह चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटे, अनैतिकता का नाश हो, यह हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब हम कोई कदम उठाते हैं तो उन कदमों के उठाने में भूतपूर्व राज्यपाल बाधा पहुंचायें, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए।

एक केस अभी हमारे सामने आया और जो कि हम सब लोगों को मालूम है और जिसे कि मूंदड़ा कांड कहते हैं। उसमें भी कुछ लोग ऐसे फंसे हुए थे जिनके कि ऊपर भ्रष्टाचार का गम्भीर आरोप था और देश के बहुत लोगों की यह राय थी कि यह मामला गोलमाल का है। शुरू में ही यह बात मालूम हो गई थी। अब एक भूतपूर्व राज्यपाल उस केस में ऐसे लोगों की पैरवी करें जिनके कि ऊपर गम्भीर आरोप हों तो यह बात भी भूतपूर्व राज्यपाल के लिए शोभाजनक नहीं है और इससे भी हमारे जो राज्यपाल का पद है उस पद की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है। यह बात बेमिसाल कही जायगी इस माने में कि ब्रिटिश राज्य के समय में भी ऐसे उदाहरण नहीं मिलते अर्थात् एक व्यक्ति जो गवर्नर के पद पर रह चुका हो वह गवर्नर न रहने के बाद किसी ऐसी अदालत में पैरवी करने के लिए गया हो, ऐसा हमें कोई उदाहरण नहीं मिलता। उन्होंने इस प्रतिष्ठा को बराबर कायम रखा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो हमारा भारतवर्ष देश है क इस भारत राज्य संघ की कार्यपालिका शक्ति संविधान के अनुच्छेद ५३ के अनुसार राष्ट्रपति में निहित होती है और अनुच्छेद १५५ के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है अर्थात् राज्यपाल का जो पद है वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि का पद है। राज्यपाल प्रान्त में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राज्य में राष्ट्रपति का जो प्रतिनिधि होता है वह एक प्रकार से राज्यपाल होता है। संविधान के अनुच्छेद १५४ के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद १६६ के अनुसार राज्य का सारा कार्य राज्यपाल के नाम से किया जाता है। इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि राज्यपाल सरकार का या राज्य का प्रतीक होता है। जो व्यक्ति राज्य का प्रतीक रह चुका हो वह अवांछनीय तत्वों का समर्थन करे, उनकी पैरवी करे, यह भी संविधान की अवहेलना करना है और राष्ट्रीय चरित्र को नीचे गिराना है। वह ऐसा काम करे जो कि यहां के लोगों के मन को न भाये और हमारी भावनाओं के विपरीत जाता हो, तो वह बात कुछ जंचती नहीं है और अच्छी नहीं लगती है। उसे अवांछनीय तत्वों का सहारा नहीं लेना चाहिए।

इसी प्रकार से हमारे संविधान के अनुच्छेद २१७ के अनुसार राष्ट्रपति हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति चीफ जस्टिस आफ इंडिया और गवर्नर की सलाह से करता है। जजों की नियुक्ति में गवर्नर की सलाह होती है और इससे यह स्पष्ट है कि जजों की नियुक्ति में गवर्नर का काफी हाथ होता है। अब मान लीजिये कि कोई एक ऐसा केस हो जिसमें भूतपूर्व राज्यपाल पैरवी करने के लिए जाय और वहां पर वह जज हो जिसको कि उसने नियुक्त कराया था तो इस प्रकार के केस

जुडिशएरी को भी करप्ट कर सकते हैं और न्यायपालिका की जो शक्ति है उस पर दबाव डाल सकते हैं उसको हम एनफ्लएंस कर सकते हैं।

इसी तरीके से संविधान के अनुच्छेद २२० के अनुसार हाईकोर्ट के जजों पर हमारे संविधान के अन्दर यह रोक लगाई है कि वे अपने कार्यकाल के बाद सुप्रीम कोर्ट तथा अन्य हाईकोर्टों को छोड़ करके अन्यत्र पैरवी नहीं कर सकते हैं। उस हाईकोर्ट में भी जिसमें कि वे जज रह चुके हैं, पैरवी नहीं कर सकते हैं। दूसरी नीचे की अदालतों में भी किसी केस की पैरवी नहीं कर सकते हैं और किसी मुकद्दमें को वे नहीं ले सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि वे जज अपने से नीचे की अदालत को एनफ्लुएंस न कर दें और उन पर अनुचित दबाव न डाल दें और इसीलिए उन पर यह रोक लगाई गई है।

राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और उसको बहुत सी शक्तियां और बहुत से अधिकार हमने दे रक्खें हैं और हो सकता है कि जब कोई भूत-पूर्व राज्यपाल ऐसे मामले अथवा मुकद्दमें में जाय तो वह उन पर भी असर डाल सकता है। राज्यपाल को संविधान ने बहुत अधिक अधिकार प्रदान किये हुए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद १६१ के अनुसार राज्यपाल बहुत सी बातों में अदालतों के मुकद्दमों में घटा बढ़ी कर सकता है, सजाओं में भी कमी कर सकता है अर्थात् फैसलों में रद्दोबदल कर सकता है तो ऐसे अधिकार सम्पन्न व्यक्ति को जो पहले राज्यपाल के पद पर रह चुका हो वह अपने कार्यकाल के बाद अगर किसी अदालत में पैरवी के लिए जायेगा तो उसका असर नहीं होगा, यह बात समझ में नहीं आती है।

17 hrs.

इस बारे में कभी-कभी यह भी कहा जाता है कि हमारे यहां लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं, लिहाजा हर एक व्यक्ति को कोई भी काम करने का हक है। तो मैं यह निवेदन करूं कि अभी हमारा जनतंत्र, अभी हमारा लोकतंत्र इतना विकसित नहीं हो सका है कि हम यह समझें कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह जो हो, प्रजातंत्र की भावना से काम करेगा। आज आप देख लीजिये हमारे यहां राजा महाराजा थे, उनका स्टेट में काफी अधिकार था, लेकिन जब उनसे अधिकार छीन लिये गये तो आज भी समाज में उनके लिये काफी प्रतिष्ठा है, उनका काफी प्रभाव और दबाव पड़ता है। इस प्रजातंत्र में जहां पर जातीयता के नाम से बहुत से लोगों का लोगों पर असर पड़ता हो और मनुष्य को मनुष्य के जैसे समाज में अधिकार न हों, वहां यह उम्मीद करना कि हमारा जो एक भूतपूर्व राज्यपाल है उसका असर नहीं पड़ेगा, हमारे देश में तो यह बात तो बड़ी अच्छी है लेकिन ऐसा व्यवहारिक रूप में नजर नहीं आता है।

अब यहां यह सवाल भी उत्पन्न होता है कि तब भूतपूर्व राज्यपाल क्या करें? उनका जीवनयापन कैसे चले? जीवनो-पार्जन कैसे हो? मैं यह निवेदन करूं कि वे ऐसे प्रतियोगितात्मक व्यवसाय में न पड़ें, उनके लिये बहुत से काम करने के हो सकते हैं और उन कामों को वे करके अपने सिद्धांतों पर डटे रहें। मैं कबीर की एक छोटी सी साखी प्रस्तुत करता हूं। उसने सन्तोष का कितना सुन्दर चित्र खींचा है, उपार्जन पर एक सीमा लगाई है कि हमें किस जगह पर जा कर रुक जाना चाहिये:

> "सांई एता दीजिये, जामे कुटुम समाय।
> मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाय।।"

यह भारतीय संस्कृति की एक देन है जहां पर कि हमारे ऋषि कहते हैं कि इस हद तक हम जायें और इस हद के बाद हम रुक जायें। यह जो जीविकोपार्जन का प्रश्न है, वह ऐसा कठिन प्रश्न नहीं है कि हम अपने सिद्धान्त

[श्री मोतीलाल मालवीय]

पर कायम रह कर, आदर्श पर कायम रह कर अपनी जीविका का उपार्जन कर सकें। मैं इस संकल्प के द्वारा सरकार से यह मांग करता हूं कि भविष्य में ऐसे व्यक्ति राज्यपाल के पदों पर नियुक्त किये जायें जिन के द्वारा यह आशंका भी न हो कि अपने कार्यकाल के बाद में वे अपने पद की प्रतिष्ठा को घटायेंगे, जिनकी ईमानदारी देश में प्रख्यात हो सिद्धान्त और आदर्श जिनके जीवन का सवाल हो।

इन शब्दों के साथ मैं अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

Mr. Deputy-Speaker: Resolution moved:

"This House is of opinion that suitable steps be taken to prevent persons who had officiated or acted as Governor of a State from accepting any competitive avocations or assignments for profit."

17.03 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday the 31st March, 1958.